न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 60/2024

जगदीश प्रसाद यादव पुत्र बालूराम यादव जाति अहीर निवासी देवलिया तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. गोकुल चन्द पुत्र रामलाल
2. नन्दकिशोर पुत्र रामलाल
3. भगवानसहाय पुत्र गोविन्दराम
4. सोनीदेवी पत्नि रामलाल

समस्त जाति यादव नि0 धाना का बास तह0 जोबनेर जिला जयपुर

5. पवन रावत पुत्र ब्रह्मानन्द रावत जाति महाजन नि0 बी–22 न्यू कॉलोनी चांदनी चौक के पास कालवाड रोड, झोटवाडा जिला जयपुर
6. बाबूलाल यादव पुत्र मंगलाराम यादव जाति अहीर नि0 बासडी कलां तह0 जोबनेर।
7. बाबूलाल सेपट पुत्र रामकरण सेपट जाति जाट नि0 काकड वाली ढाणी मोहन का बास पो0 करणसर तह0 जोबनेर
8. महेन्द्र कुमार पुत्र प्रभुनारायण जाति महाजन नि0 550 ओमशिव कॉलोनी जयपुर
9. आमिन पुत्र गफूर खां जाति मुसलमान नि0 करणसर तह0 जोबनेर।
10. गिरिराज पुत्र रमेश चन्द शर्मा नि0 करणसर तह0 जोबनेर जिला जयपुर
11. गिरिराज प्रसाद कूतवाल पुत्र कैलाशचन्द कूतवाल जाति महाजन नि0 करणसर तह0 जोबनेर
12. मनीष कुमार तोतला पुत्र प्रहलादराम तोतला जाति महाजन नि0 करणसर तह0 जोबनेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामसिंह वकील प्रार्थी

2. सुश्री तबस्सुम रंगरेज वकील अप्रार्थीगण सं0 05 लगा0 12

दिनांक :– 29/09/2025

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादी सं0 9 ल012 की संयुक्त कब्जे काश्त आराजी खसरा नं0 314/14 रकबा 1.5174 हे0

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वाकै ग्राम करणसर तह0 जोबनेर में स्थित हैं। जिस पर वादी व प्रतिवदी सं0 9 ल012 काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादी की आराजीयात के पूर्वी दिशा में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 8 की कृषि भूमि खसरा नंबर 314/15 व 314/18 है तथा प्रतिवादी सं0 5 लगा0 8 प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 के सहयोग से वादी की आराजी खसरा नंबर 314/14 की पूर्वी तरफ की सींव की जमीन को अपनी आराजीयात में मिलाकर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते है जिसके कारण आयेदिन वादी की आराजीयात की पूर्वी सींव की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने का भरसक प्रयास किया जाता रहा है। प्रतिवादी सं0 1लगा0 8 दिनांक 5.7.2024 को वादी की अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाते हुये वादी की आराजी की पूर्वी सीमा की जमीन को अनाधिकृत रूप से अपनी आराजीयात में मिलाने की गरज से कातले गाडकर तारबंदी करने लगे, जब वादी ने प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वे मौका पाकर वादी की आराजी की जमीन की पूर्वी सीमा अपनी आराजीयात में मिला लेगें। इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि दौराने वाद अप्रार्थी–प्रतिवादी सं0 1 लगा0 12 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी–वादी की आराजी खसरा नंबर 314/14 रकबा 1.5147 हे0 वाकै ग्राम करणसर तह0 जोबनेर में कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे, ना ही वादी की उपरोक्त आराजीयात की पूर्वी सीमा की जमीन को जबरन प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 8 आराजी खसरा नंबर 314/15 व 314/18 में नहीं मिलाये। वादी की आराजीयात की पूर्वी सीमा व प्रतिवादीगण सं0 5 लगा0 8 की आराजीयात की पश्चिमी सीमा की मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 05 लगा0 10, 12 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित किये है अप्रार्थीगण स्वयं कि हिस्सेनुसार आराजी पर ही काबिज है बल्कि प्रार्थी स्वयं कि नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है प्रार्थी स्वयं अप्रार्थीगण कि सींव के सहारे अप्रार्थीगण कि जमीन हडपना चाहता है। दिनांक 5.7.2024 को कोई घटना घटित नहीं हुई है। प्रार्थी द्वारा बताई गई घटना कि दिनांक मनघडत है। वादी द्वारा उक्त घटना के संबंध मे कोई दस्तावेज या सबुत न्यायालय मे पेश किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा बतायी गयी घटना झुठी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण कि पूर्व मे

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

ही आपसी सहमति के आधार तार बाउण्ड्री हो रखी है प्रार्थी की नियत में फितुर उत्पन्न होने व अप्रार्थीगण कि जमीन हडप करने के लिये प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कथन में निवेदन किया गया है कि आराजी ख0नं0 314/18 प्रार्थी कि आराजी के दक्षिण कि ओर स्थित है प्रार्थी का आराजी ख0नं0 314/15 से कोई लेना देना नहीं है प्रार्थी भु–माफिया है जो नाजायज जीमन हडप करने के लिये इस तरह के कृत्य को अंजाम देता रहता है। आराजी ख0नं0 314/14 कि खातेदारी पूर्व मे के नाम थी जिसे खातेदारो ने राजहंस सोसाईटी को हैण्डओवर कर दिया था जिसका अप्रार्थी सं0 6 अध्यक्ष है उक्त आराजी को सोसाईटी मे हैण्डओवर करने का सौदा अप्रार्थी सं0 12 के पिता प्रहलाद तोतला व स्वयं प्रार्थी ने करवाया था बाद मे आराजी ख0नं0 314/14 राजहंस सोसाईटी को हैण्डओवर करने के बाद भी प्रार्थी ने आराजी ख0नं0 314/14 के खातेदारो से जरिये विक्रय पत्र के खरीद कर ली जो आपराधिक कृत्य है। वर्तमान मे आराजी ख0नं0 314/14 मे एक कॉलोनी खक बाबा एनक्लेव तृतीय के नाम से विकसित हो रखी है। उक्त कॉलोनी मे सभी भू–.खण्ड विक्रय हो चुके है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी–वादी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

01 **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी खसरा खसरा नंबर 314/14 वाकै ग्राम करणसर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है, जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 9 लगा0 12 के स्वामित्व की आराजीयात है, जिनके पूर्वी दिशा में प्रतिवादी संख्या 05 लगा0 08 की आराजी खसरा नंबर 314/15 वाकै ग्राम करणसर स्थित है। प्रार्थी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 05 लगा0 08 के खसरा नंबरान 314/15 के मध्य सीमा का अभी तक विधिवत् सीमाज्ञान नहीं हुआ है। और सभी खातेदार अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना चाही गयी है की आराजी खसरा नंबर 314/14 वाके ग्राम करणसर तह0 जोबनेर की पश्चिमी सीमा जो खसरा नंबर 314/15 से लगती हुई है पर को खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा प्रतिवादी आराजी ख0नं0 314/14 को अपनी आराजीयात में नहीं मिलाये। तथा विधिवत सीमाज्ञान आदेश के कोई पत्थर नहीं गाढे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। आराजी खसरा सं0 314/15 व 314/18 अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसके प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिन्हें प्रार्थी सीमाज्ञान के आधार पर पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है। सीमा संबंधि विवाद के संबंध प्रार्थी पृथक से सीमाज्ञान हेतु आवेदन प्रस्तुत करे,

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

पत्थरगढी हेतु न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी प्रथम दृष्टया अपने कथन को सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

02 **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा खसरा नंबर 314/14 वाकै ग्राम करणसर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है, जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 9 लगा0 12 के स्वामित्व की आराजीयात है, जिनके पूर्वी दिशा में प्रतिवादी संख्या 05 लगा0 08 की आराजी खसरा नंबर 314/15 वाकै ग्राम करणसर स्थित है। आराजी खसरा सं0 314/15 व 314/18 अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसके प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। यदि आराजी खसरा सं0 314/15 व 314/18 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार/अप्रार्थीगण को सीमाज्ञान के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण के लिए ही असुविधाजनक ही होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी।

03 **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 25/07/2024 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा राठी RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर